**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

क्र. एफ 27(82)ग्राविवि– 5/जीकेएन/बीएसआरसॉफ्ट/बून्दी/2015–16 जयपुर, दिनांक 06/05/2016

**जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष,**
**जिला दर निर्णायक समिति,**
**जिला परिषद्, बून्दी।**

विषय :–पंचायत समिति दर अनुसूची में अनुमोदित श्रम, सामग्री व उपकरणों की बेसिक दरों का सुसंगत निर्धारण बाबत्।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक जिपबू/जीकेएन/बीएसआर/ 2016–17/424 दिनांक 28.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए पूर्व में निर्धारित श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का दिनांक 27.4.2016 को आपके स्तर से पुनः समीक्षा पर पत्र में वर्णित आईटमों की पुनरीक्षित दरों के बीएसआर सॉफ्ट में एडिट करने की सहमति चाही है। पत्र में वर्णित कुल 11 आईटमों में से 3 आईटमों की दरों में कमी, 4 आईटमों में बढोतरी एवं 4 आईटमों की दरें समान है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधनों के अनुसार बेसिक दर व सम्बन्धित पंचायत समिति की बीएसआर अनुमोदन व सॉफ्टवेयर में अपडेट/संशोधन करने के लिए जिला दर निर्णायक समिति अधिकृत है।

अतः अपने स्तर से निर्धारित/अनुमोदित दरों की समीक्षा व पूर्ण सन्तुष्टि उपरान्त बीएसआर सॉफ्टवेयर में अपडेट/संशोधित कराया जावे।

भवदीय,

**(के.के.शर्मा)**
**अधीक्षण अभियंता, ग्रावि**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान (बून्दी के अतिरिक्त)।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

**अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)**